**भारत सरकार**

**सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय**

**राज्‍य सभा**

**सोमवार, 28 जुलाई, 2014, 6 श्रावण, 1936 (शक) अतारांकित प्रश्‍न सं. 2087**

**पहाड़ी और सीमावर्ती क्षेत्रों में राज्य राजमार्गों का राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में शामिल किया जाना**

**2087. श्री बशिष्ठ नारायण सिंह:**

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार के विशेषकर पहाड़ी और सीमावर्ती क्षेत्रों में राज्य राजमार्गों को राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में शामिल करने संबंधित दिशानिर्देशों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के शिमला-डोडराकवार और रामपुर-रोहरू राज्य राजमार्गों को राष्ट्रीय राजमार्गों में शामिल करेगी क्योंकि ये पर्वतीय और सीमावर्ती क्षेत्र में आते हैं;

(ग) क्या मंत्रलय को इस संबंध में कोई पत्र मिला है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, क्योंकि इन सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्गों में शामिल किए जाने से सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा, पर्यटन उद्योग एवं कृषि को बढ़ावा मिलने के साथ-साथ बेरोजगार युवकों को रोजगार का लाभ मिलेगा; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**उत्‍तर**

**सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्‍य मंत्री**

**(श्री कृष्‍णपाल गुर्जर)**

**(क):** राष्‍ट्रीय राजमार्गो के रूप में घोषणा के लिए मानदंडों का ब्‍यौरा **अनुलग्‍नक-।** पर दिया गया है ।

**(ख) से (ड.):** राष्‍ट्रीय राजमार्गों का विस्‍तार एक सतत् प्रक्रिया है और संपर्क की आवश्‍यकता, पारस्‍परिक प्राथमिकता और निधियों की उपलब्‍धता के आधार पर समय-समय पर नए राष्‍ट्रीय राजमार्गों की घोषणा की जाती है ।

अनुलग्‍नक-।

**‘पहाड़ी और सीमावर्ती क्षेत्रों में राज्य राजमार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में शामिल किए जाने’ के संबंध में श्री बशिष्ठ नारायण सिंह द्वारा दिनांक 28.07.2014 के लिए पूछे गए राज्‍य सभा के अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 2087 के भाग (क) के उत्‍तर में उल्‍लिखित अनुलग्‍नक**

**राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए जाने के मापदंड**

मंत्रालय ने योजना आयोग की टिप्‍पणियों के आधार पर राष्‍ट्रीय राजमार्गों की घोषणा के लिए 11 बिंदु मानदंड तैयार किए हैं, जो इस प्रकार हैं:-

1. ऐसी सड़कें जो देश में एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाती हों ।
2. पड़ोसी देशों को जोड़ने वाली सड़कें ।
3. राष्‍ट्रीय राजधानी को राज्‍य की राजधानी के साथ जोड़ने वाली सड़कें और राज्‍यों की राजधानियों को आपस में जोड़ने वाली सड़कें ।
4. महापत्‍तनों, बड़े औद्योगिक केन्‍द्रों अथवा पर्यटन केन्‍द्रों को जोड़ने वाली सड़कें ।
5. पहाड़ी और एकांत क्षेत्रों में अति महत्‍वपूर्ण सामरिक जरूरतों को पूरा करने वाली सड़कें ।
6. प्रमुख सड़कें जो यात्रा की दूरी को बहुत कुछ घटा देती हों और जिनसे काफी अधिक आर्थिक वृद्धि प्राप्‍त होती हो ।
7. ऐसी सड़कें जिनसे किसी पिछड़े इलाके के विशाल भू-भाग को और पहाड़ी क्षेत्रों को जोड़ने में सहायता मिलती हो (सामरिक महत्‍व की सड़कों को छोड़कर) ।
8. 100 किमी. का राष्ट्रीय राजमार्ग ग्रिड प्राप्‍त होता हो ।
9. ऐसी सड़क जो अपनी तकनीकी आवश्‍यकताओं के साथ-साथ भूमि आवश्‍यकताओं के मामले में भी राज्‍यीय राजमार्ग के लिए निर्धारित मानक को पूरा करती हो । मौजूदा सड़कें (राज्‍यीय राजमार्ग, प्रमुख जिला सड़कें और अन्य सड़कें) जो इसमें निर्धारित विभिन्‍न मानदंडों के संदर्भ में महत्‍वपूर्ण हैं, पर राष्‍ट्रीय राजमार्ग मानकों में उन्‍नयन करने के लिए विचार किया जाएगा । तथापि, यह सुनिश्‍चित किया जाएगा कि उन्‍नयन की जा रही सड़कें राज्‍यीय राजमार्ग के लिए निर्धारित मानदंड सामान्‍यत: पूरा करती हैं परंतु प्रमुख जिला सड़कें और अन्‍य सड़कें जो ग्रिड बनाती हैं और महत्‍वपूर्ण/पिछड़े क्षेत्रों को जोड़ती हैं, को भी उन्‍नयन करने की आवश्‍यकता पर विचार किया जाएगा ।
10. मार्ग और मार्गाधिकार दोनों ही, किसी भी प्रकार के अतिक्रमण से मुक्‍त हों और राज्‍य सरकार की सम्‍पत्‍ति हों ।
11. राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए अपेक्षित मार्गाधिकार (वरीयतन 45 मीटर, न्‍यूनतम 30 मीटर) अधिग्रहण के लिए बिना किसी अतिक्रमण के उपलब्‍ध हो और राज्‍य सरकार छह महीने के अन्‍दर अधिग्रहण की औपचारिकताएं पूरी कर ले । यदि सड़क को राष्‍ट्रीय राजमार्ग मानक में विकसित करने के लिए अतिरिक्‍त मार्गाधिकार अपेक्षित है तो राज्‍य सरकार प्राक्‍कलन स्‍वीकृत करने के पश्‍चात् अधिग्रहण को तेजी से पूरा करेगी ।

\*\*\*\*\*